न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर, न्यायक्षेत्र डूंगरपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : आशा चौहान, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या : 24/2019
एफ.आई.आर. नं. : 250/2018 पुलिस थाना बिछीवाड़ा

01. राज्य सरकार जरिए अभियोजन अधिकारी, जिला डूंगरपुर।

बनाम

01. राधेश्याम पुत्र नारायणलाल उम्र 36 वर्ष निवासी कविता पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर (राज0)।
02. चुन्नीलाल पिता खेमराज उम्र 38 वर्ष निवासी आसना तहसील मावली पुलिस थाना डबोक जिला उदयपुर (राज0)।

...........मुलजिमान

अपराध अंतर्गत धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम।

उपस्थितिः–

01. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
02. श्री नगीन पटेल, विद्वान अधिवक्ता, मुलजिमान की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 17.07.2026**

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.09.2018 को मन थानाधिकारी सुनील शर्मा मय जाब्ता श्री जयेश जोशी हैड कानि 271 श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि 602. श्री महेन्द्र कुमार कानि० 480 गर्मी तुलसीराम कानि 39 के 09.58 ए एम बजे रवाना होकर पुलिस थाना बिछीवाडा के सामने रूटीन चेकींग एवं नाकाबन्दी कर रहा था कि जरिये खास मुखबिर सूचना गिली की एक बिना नंबरी सफेद बोलेरो गाडी में अवैध अग्रेजी शराब भरकर उदयपुर तरफ से गुजरात तस्करी हेतु जाने वाली है, मुखबिर सुचना विश्वसनीय होने से एवं तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लग सकता है, ऐसी स्थिति में माल/गाडी खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना होने से पर्चा अन्तर्गत धारा 47 आबकारी अधिनियम का मुर्तिब कर मुखबिर सुचना से हमराही जाब्ता को अवगत करा नाकाबंदी 10.10 एएम पर शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 10. 15 ए एम पर मुखबीर की सुचना के मुताबिक एक बिना नंबरी सफेद रंग की बोलेरो गाडी उदयपुर तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसको जाप्ता की मदद से हाथ देकर रूकवाया जाकर, अन्दर चालक बैठा था। चालक का नाम पता पूछा तो

चालक ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र नारायणलाल शर्मा आयु 30 साल निवासी कविता पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर होना बताया। चालक को उक्त वाहन में क्या माल भरा है बाबत पुछा तो आना कानी करते हुये माल के बारे में जानकारी होने से इंकार किया उक्त बोलेरो को मय जाब्ता एवं चालक के पुलिस थाना बिछीवाडा थाना परिसर मे लाया गया। हमराही जाप्ता में सें कानि श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि 602 श्री महेन्द्र कुमार कानि0 459 को मोतबीर मामूर कर बोलेरो गाडी को चौक किया तो गाडी मे पिछे ऑफिसर्स च्वाईस क्लासिक व्हिस्की अग्रेजी शराब (फोर सेल इन राजस्थान ओनली) की 60 बोतल (प्रत्येक कांच की बोतल 750 एमएल) भरी पाये गये। चालक को शराब परिवहन करने व अपने कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के बारे में पुछा तो नही होना बताया। उक्त मात्रा में अग्रेजी शराब चालक राधेश्याम द्वारा बिना अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के अपने कब्जे में रख परिवहन करना धारा 19‘54 आबकारी अधिनियम के खिलाफवर्जी करना पाया जाने से रूबरू मोतबीरान शराब को क्रमशः जप्त की जाकर जप्त शुदा ऑफिसर्स च्वाईस शराब की एक बोतल नमुना सेम्पल एवं एक बोतल कंट्रोल सेम्पल निकाली जाकर सिलचिट किया जाकर नमुना सेम्पल को मार्क ए एवं कंट्रोल सेम्पल को मार्क ए1 दिया गया, एवं शेष शराब को दो सफेद कट्टे में भरवाई जाकर चिट चस्पा किया गया। उक्त मुलजिम राधेश्याम को मौके पर ही धारा 41 ए जा.फौ. के प्रावधानों की पालना के बाद नियमानुसार मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। बिना नंबरी वाहन बोलेरो को जरिए फर्द जब्ती पृथक से जब्त किया गया। मोके पर जप्ती व पर्चा कायमी व अन्य कार्यवाही नियमानुसार की गई। मन थानाधिकारी मय माल व मुलजिम के पुलिस थाना बिछीवाडा पर वापिस लौटा हूँ। जब्तशुदा माल का मालखाना एचसी को सील्ड हालत में संभलाया जाकर गिरफ्तारशुदा मुलजिम को संतरी से जामातलाशी दिलवाई जाकर दाखिल हवालात किया गया।..........वगैरा। उक्त पर्चा कायमी पर पुलिस थाना बिछीवाडा में अभियोग संख्या 250 / 2018 धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम राधेश्याम के विरूद्ध धारा 19 / 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में तथा अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध धारा 19 / 54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया। इन मुलजिमान के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. मामले में बहस चार्ज सुनकर मुलजिम राधेश्याम को धारा 19 / 54 राज0 आबकारी अधिनियम का एवं अभियुक्त चुन्नीलाल को धारा 19 / 54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो मुलजिमान ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मुलजिमान के विरूद्ध मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 महेन्द्र कुमार, पी.ड.2 तुलसीराम, पी.ड.3 साकीर खान, पी.ड. 4 महेन्द्र सिंह, पी.ड.5 तेजसिंह, पी.ड.6 सुनील को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन विभिन्न दस्तावेज प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–16 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया। प्रकरण में मुख्य गवाहान के परीक्षित हो जाने के कारण शेष गवाहान की तलब अभियोजन सहमति से बंद की गई।

04. मुलजिमान के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए, जिसमें मुलजिमान ने अपने विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

05. प्रकरण की बहस अंतिम के दौरान योग्य सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष ने अपनी मौखिक व प्रलेखलीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराधों को संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। इसके विपरीत अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास रहा है। चुन्नीलाल ने वाहन घटना से पूर्व ही राधेश्याम को जरिए इकरारनामा विक्रय कर दिया था। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

06. प्रकरण के संबंध में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

"01. क्या दिनांक 10.09.2018 को समय 10:15 ए एम पर या इसके लगभग बिछीवाडा पुलिस थाने के सामने एनएच 8 पर अपने कब्जेशुदा सफेद रंग की बिना नंबरी बोलेरो गाडी में आफिसर चाईस क्लासिक व्हिस्की के 60 बोतले सेल फोर राजस्थान ओनली अंग्रेजी शराब की भरी हुयी पायी जो बिना अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रखी तथा आप अभियुक्त चुन्नीलाल उक्त जब्तशुदा कार के रजिस्टर्ड स्वामी थे, यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड की पात्र है?"

07. उक्त अवधारणीय बिन्दुओं पर विचार करें तो प्रकरण के महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड.6 सुनील** का कथन रहा कि दिनांक 10.09.2018 को वह पुलिस थाना बिछीवाडा में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन वह मय जाब्ता जयेश जोशी हेड कानि, तुलसीराम कानि, धर्मेन्द्र कुमार कानि, महेन्द्र कुमार कानि. के 09.58 ए.एम बजे रवाना होकर पुलिस थाना बिछीवाडा के सामने रूटीन चेकींग एंव नाकाबन्दी कर रहे थे कि उसे जरिये

खास मुखबिर सूचना मिली की एक बिना नंबरी सफेद बोलेरो गाडी में अवैध अग्रेजी शराब भरकर उदयपुर तरफ से गुजरात तस्करी हेतु जाने वाली है, मुखबिर सुचना विश्वसनीय होने से एवं तलाशी वारंट प्राप्त करने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में माल/गाडी खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण संभावना होने से उसने पर्चा अन्तर्गत धारा 47 आबकारी अधिनियम का मुर्तिब कर मुखबिर सुचना से हमराही जाब्ता को अवगत करा नाकाबंदी 10.10 एएम पर शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 10.15 एम पर मुखबीर की सुचना के मुताबिक एक बिना नंबरी सफेद रंग की बोलेरो गाडी उदयपुर तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसको उसने व जाप्ता ने हाथ देकर रुकवाया जिसके अन्दर चालक बैठा था। उसने चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र नारायणलाल शर्मा आयु 30 साल निवासी कविता पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर होना बताया। उसके द्वारा चालक को उक्त वाहन में क्या माल भरा है, बाबत पुछा तो आनाकानी करते हुये माल के बारे में जानकारी होने से इंकार किया। उक्त बोलेरो को मय चालक के पुलिस थाना बिछीवाडा थाना परिसर में लाये तथा जाप्ता में से कानि धर्मेन्द्र कुमार व महेन्द्र कुमार कानि. को मोतबीर मामूर कर बोलेरो गाडी को चैक किया तो गाडी में पिछे ऑफिसर्स च्वाईस क्लासिक व्हिस्की अंग्रेजी शराब (फोर सेल इन राजस्थान ओनली) की 60 बोतल (प्रत्येक कांच की बोतल 750 एमएल) भरी पाये गये। उसके द्वार चालक को शराब परिवहन करने व अपने कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। उक्त मात्रा में अंग्रेजी शराब चालक राधेश्याम द्वारा बिना अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के अपने कब्जे में रख परिवहन करना धारा 19/54 आबकारी अधिनियम अपराध होने से उसने रूबरू मोतबीरान शराब को क्रमशः जप्त की जाकर जप्त शुदा ऑफिसर्स च्वाईस शराब की एक बोतल नमुना सेम्पल एवं एक बोतल कंट्रोल सैम्पल निकाली जाकर सिलचिट किया जाकर नमुना सेम्पल को मार्क ए एवं कंट्रोल सेम्पल को मार्क ए1 दिया गया एवं शेष शराब को दो सफेद कट्टे में भरवाई जाकर चिट चस्पा किया गया। उसने वाहन बोलेरो को फरिये फर्द जब्त किया। मुलजिम राधेश्याम को मौके पर ही धारा 41 ए जा.फी. के प्रावधानों की पालना के बाद नियमानुसार मौके पर अभियुक्त राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया। मोके पर जप्ती व पर्चा कायमी व अन्य कार्यवाही नियमानुसार की जाकर मौके पर मौजूद गवाहान के हस्ताक्षर कराये। वाहन की तलाशी लिये जाने से पूर्व धारा 47 राज आब अधि का पर्चा मुर्तिब किया जो प्रपी 17 है। अभियुक्त राधेश्याम के कब्जे से शराब जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रपी 01 है। अभियुक्त राधेश्याम जिस वाहन में शराब बरामद हुई उक्त वाहन को जरिये फर्द जब्त किया। मौके पर अभियुक्त राधेश्याम को जरिये फर्द गिरफतारी प्रपी 03 के गिरफ्तार किया। बाद कार्यवाही उसके द्वारा पर्चा कायमी मुर्तिब कि जो प्रपी 14 है। चॉक एफआईआर प्रपी 13 होना बताया।

उसके द्वारा पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 250/2018 अपराध धारा 19/54 राज आब अधि में दर्ज कर अनुसंधान एएसआई तेजसिंह के जिम्मे किया गया। जब्त शराब के नमूना सेंपल एफएसएल जांच हेतु भेजे जिसका थाना का अग्रेषण पत्र प्रपी 16, एसपी साहब का अग्रेषण प्रत्र प्रपी 15, नमूना सेंपल जमा रसीद प्रपी 06,जब्त शराब की एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रपी 04 होना गवाह ने कथन किया। जब्त वाहन बोलेरो गाडी के चालक अभियुक्त राधेश्याम की धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर अनुसंधान अधिकारी ने जवाब प्राप्त किया, नोटिस प्रपी 18 है। अनुसंधान अधिकारी तेजसिंह के द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राधेश्याम के विरूद्ध अपराध धा 19/54 राज आब अधि व अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध अपराध धारा 19/54, 54 राज आब अधि में अपराध प्रमाणित मान पत्रावली उसे सुपुर्द की जिस पर उसने चार्जशीट कता कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह का कथन रहा कि यह सही है कि मौके पर वाहन मालिक नहीं मिला था। यह सही है कि शराब कहा से लाये थे, उस बारे में मौके पर कोई बात नहीं आई थी।

प्रकरण में **थानाधिकारी सुनील** के साथ वक्त घटना जाब्ते में मौजूद **गवाह पी.ड.1 कानि महेन्द्र कुमार तथा पी.ड.2 तुलसीराम** ने भी थानाधिकारी सुनील के द्वारा बताये गये कथनों की हुबहु ताईद की। उक्त दोनों गवाह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यही कथन किया थानेदार साहब को जरिये खास मुखबिर सूचना मिलने पर थानाधिकारी द्वारा धारा 47 आबकारी अधिनियम का पर्चा मुर्तिब कर नाकाबंदी 10.10 एएम पर शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 10.15 एम पर मुखबीर की सुचना के मुताबिक एक बिना नंबरी सफेद रंग की बोलेरो गाडी उदयपुर तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसको थानेदार साहब ने व हम जाप्ता ने हाथ देकर रुकवाया जिसके अन्दर चालक बैठा था। थानेदार साहब द्वारा चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र नारायणलाल शर्मा होना बताया। थानेदार साहब ने चालक को उक्त वाहन में क्या माल भरा है, बाबत पुछा तो आनाकानी करते हुये माल के बारे में जानकारी होने से इंकार किया। उक्त बोलेरो को थानेदार साहब मय हम जाब्ता एवं चालक के पुलिस थाना बिछीवाडा थाना परिसर में लाये। जाप्ता में से कानि धर्मेन्द्र कुमार कानि 602, महेन्द्र कुमार कानि. 459 को मोतबीर मामूर कर बोलेरो गाडी को चैक किया तो गाडी में पिछे ऑफिसर्स च्वाईस क्लासिक व्हिस्की अंग्रेजी शराब (फोर सेल इन राजस्थान ओनली) की 60 बोतल (प्रत्येक कांच की बोतल 750 एमएल) भरी पाये गये। थानेदार साहब ने चालक को शराब परिवहन करने व अपने कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। उक्त मात्रा में अग्रेजी शराब चालक राधेश्याम द्वारा बिना अनुज्ञापत्र एवं लाईसेंस के अपने कब्जे में रख परिवहन करना

धारा 19 / 54 आबकारी अधिनियम अपराध होने से थानेदार साहब ने रूबरू मोतबीरान शराब को क्रमशः जप्त की जाकर जप्त शुदा ऑफिसर्स च्वाईस शराब की एक बोतल नमुना सेम्पल एवं एक बोतल कंट्रोल सैम्पल निकाली जाकर सिलचिट किया जाकर नमुना सेम्पल को मार्क ए एवं कंट्रोल सेम्पल को मार्क ए1 दिया गया, एवं शेष शराब को दो सफेद कट्टे में भरवाई जाकर चिट चस्पा किया गया। थानेदार साहब ने वाहन बोलेरो को जब्त किया। थानेदार साहब ने उक्त मुलजिम राधेश्याम को मौके पर ही धारा 41 ए जा.फी. के प्रावधानों की पालना के बाद नियमानुसार मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। मोके पर जप्ती व पर्चा कायमी व अन्य कार्यवाही नियमानुसार की जाकर उनके हस्ताक्षर कराये। वापसी पर थानेदार साहब ने प्रकरण कायम किया। घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया था, जो फर्द प्रपी 03 है, जिन पर गवाहान ने अपने हस्ताक्षर होना कथन किया। **जिरह में गवाह पी.ड.1 महेन्द्र कुमार ने** यह गलत बताया कि जब्ती की कार्यवाही थाने में आकर की हो। यह सही बताया कि बरामदशुदा शराब फॉर सेल इन राजस्थान की थी। इसे गलत बताया कि जब्ती की कार्यवाही के समय कोई स्वतंत्र मौतबिर नहीं बुलाया हो अजखुद कहा कि बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया। इसी क्रम में **गवाह पी.ड.2 तुलसीराम का** जिरह में कथन रहा कि यह गलत है कि मौके पर अभियुक्त नहीं मिला हो। यह सही है कि जो शराब थी वह फोर सेल इन राजस्थान की थी।

गवाह पी.ड.4 महेन्द्र सिंह का कथन रहा कि दिनांक 10.09.2018 को वह हेड कानि के पद पर पुलिस थाना बिछीवाडा पर कार्यरत था उस दिन वह मालखाना इंचार्ज भी था। उस दिन हस्तगत प्रकरण से संबंधित मालखाना थानाधिकारी सुनील ने जब्तशुदा एक सफेद रंग की बिना नंबरी बोलेरो मॉडल नंबर 2011 व ऑफिसर चोईस क्लासिक व्हिस्की एक बोतल 750 एमएल नमूना सेंपल जिस पर मार्क ए अंकित था व कन्ट्रोल सेम्पल मार्क ए1 अंकित था उसे लाकर सुपुर्द किये, जिस पर उसको मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखा तथा दिनांक 04.10.2018 को नमूना सेम्पल सीलचिट शुदा मार्क ए एफएसएल जांच हेतु कानि साकीर को एसपी ऑफिस डूंगरपुर से अग्रेषण पत्र बनावाये जाने हेतु सुपुर्द किया जिस पर कानि साकीर खान द्वारा अग्रेषण पत्र तैयार करा कर पुनः सेम्पल सीलचिटशुदा उसे सुपुर्द किये। दिनांक 05.10.2018 को उक्त नमूना सेम्पल सीलचिट शुदा एफएसएल उदयपुर में जमा कराने के लिए कानि साकिर खान को मय कागजात पुनः सुपुर्द किये जिसने सेम्पल सीलचिट अवस्था एफएसएल उदयपुर में जमा करा रसीद लाकर उसे सुपुर्द की। मालखाना रजिस्टर का मूल प्रति प्रदर्श पी 7ए, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रपी 7 है। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16, एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15, सेम्पल की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 होना बताया। **जिरह में गवाह ने यह**

गलत बताया कि सेम्पल जिसको उसने मालखाना से दिये हो उसके हस्ताक्षर नहीं करवाये हो।

इसी क्रम में **गवाह पी.ड. 3 साकीर खान** का कथन रहा कि उसके द्वारा मालखाना इंचार्ज महेन्द्र सिंह से प्रकरण में जब्तशुदा शराब के नमूना सेम्पल मार्क ए सीलचिट अवस्था में प्राप्त कर एसपी ऑफिस डूंगरपुर से अग्रेषण पत्र तैयार करवा कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर पहुंच उक्त नमूना सेम्पल सीलचिट अवस्था में जमा करा प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की।

इसी क्रम में प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी **पी.ड.5 तेजसिंह** का कथन रहा कि दिनांक 10.09.2018 को वह पुलिस थाना बिछीवाडा में एएसआई के पद तैनात था। उस दिन थानाधिकारी सुनील शर्मा ने हस्तगत मुकदमा दर्ज कर तफतीश उसके जिम्मे की थी। जिसपर दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के कथन उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये थे। घटना स्थल पर पहुंच चश्मदीद गवाह तुलसीराम के निशादेही से घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रपी 03 बनाना तथा धारा 27 की सूचना अभियुक्त राधेश्याम की प्रपी 04 देना बताया। जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को वाहन संख्या आरजे 27 यूबी 3006 के पंजीकृत वाहन स्वामी की जानकारी चाहने बाबत् तेहरीर दी, जिसपर जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर की रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रपी 05 प्राप्त होने तथा रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाहन का स्वामी चुन्नीलाल लाल का होना अंकित होना बताया। प्राप्ति रसीद प्रपी 06, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 07, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रपी 08 होना बताया। वाहन स्वामी द्वारा जब्तशुदा बोलेरो गाडी आरजे 27 यूबी 3006 का पंजीकृत स्वामी स्वयं होना बताये जाना कथन किया। धारा 41 का नोटिस अभियुक्त चुन्नीलाल प्रपी 09, फर्द गिरफतारी अभियुक्त चुन्नीलाल प्रपी 10, सेंपल वाहक का रोजनामचा रपट प्रपी 11, फर्द जब्ती बोलेरो प्रपी 02, फर्द जब्ती अंग्रेजी शराब प्रपी 01, फर्द गिरफतारी अभियुक्त राधेश्याम प्रदर्श पी 3, जप्तशुदा वाहन बोलेरा की आरसी प्रदर्श पी 12 शामिल पत्रावली करने का कथन किया। साथ ही अभियुक्त राधेश्याम का ड्राईविंग लाईसेंस प्रपी 15 व चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 13, टाईपशुदा रिपोर्ट प्रपी 14 होना बताते हुये संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त राधेश्याम पिता नारायण शर्मा के विरूद्ध जूर्म धारा 19/54 आबकारी अधिनियम व चुन्नीलाल पिता खेमराज के विरूद्ध जूर्म धारा 19/54, 54ए आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश करना बताया। **बचाव पक्ष की ओर से की गई जिरह में** गवाह ने यह सही बताया कि शराब फोर सेल इन राजस्थान निर्मित थी। जहां से शराब भरी थी उसे गवाह नहीं बनाया था अभियुक्त ने बताया था कि अलग–अलग दुकानों से दो–चार, चार बोतलें खरीद कर

लाया था।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में सर्वप्रथम गवाह सुनील कुमार थानाधिकारी को जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर मुखबिर की सूचना के अनुसार उसके द्वारा मय जाब्ता बोलेरो गाडी नंबर आर जे 27 यू बी 3006 को दौराने नाकाबंदी रूकवाया जाकर तलाशी ली तो वाहन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भरी थी। उसके चालक ने अपना नाम राधेश्याम होना बताया और शराब के परिवहन बाबत कोई वैद्य दस्तावेज नहीं पाया जाने पर वाहन की तलाशी लेने पर गाडी के पिछले हिस्से में अवैध शराब भरी हुई पायी जिसे थानाधिकारी सुनील द्वारा जब्त कर फर्द जब्ती शराब व फर्द जब्ती बोलेरो वाहन गवाहों की उपस्थिति में तेयार की तथा गवाह सुनील और उसके साथ वक्त घटना जाब्ते में मौजूद गवाह कानि महेन्द्र कुमार व कानि तुलसीराम ने भी अभियोजन कहानी को हुबहु दोहराया। उक्त दोनों गवाहों ने भी गवाह सुनील थानाधिकारी के समान ही कथन किया और उनकी उपस्थिति में जब्तशुदा शराब में से सेम्पल निकाल कर मार्क ए अंकित किये जाने, फर्द जब्ती शराब व फर्द जब्ती वाहन बोलेरो मुर्तिब किये जाने का कथन किया तथा गवाह हैड कानि महेन्द्र सिंह मालखाना इंचार्ज द्वारा भी प्रकरण में जब्तशुदा शराब सीलचिट अवस्था में सेम्पल तथा वाहन को थानाधिकारी सुनील द्वारा उसे मालखाना में सुरक्षित रखे जाने हेतु सुपुर्द करने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करना बताया और उक्त शराब और सेम्पल मालखाना में सीलचिट अवस्था में सुरक्षित रखे जाने का कथन किया है। साथ ही गवाह का कथन रहा कि जब्तशुदा शराब के सैम्पल को उसके द्वारा कानि साकीर खान को एस पी ऑफिस से अग्रेषण पत्र तैयार कराने तथा उसके पश्चात सैम्पल एफएसएल जाचं हेतु मय अग्रेषण पत्र के विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराने हेतु सुपुर्द किये। इसी अनुक्रम में कानि साकीर खान का भी यह कथन रहा कि उसके द्वारा सीलचिट अवस्था में सेम्पल मालखाना इंचार्ज महेन्द्र सिंह से प्राप्त कर एस पी ऑफिस से अग्रेषण पत्र तैयार करा सैम्पल एफएसएल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराये गये जिसकी रसीद कानि साकीर खान द्वारा मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की गई। जब्तशुदा शराब की एफएसएल रिपोर्ट प्रपी 4 के अनुसार जब्तशुदा शराब के सेम्पल में ईथाईल एल्कोहॉल होना पाया गया। उक्त शराब को परिवहन करने बाबत अभियुक्त राधेश्याम के पास कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया तथा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो गाडी नंबर आर जे 27 यू बी 3006 का रजिस्टर्ड स्वामी भी अभियुक्त चुन्नीलाल होना अनुसंधान में पाया गया। अनुसंधान अधिकारी तेज सिंह द्वारा भी उसके द्वारा किये गये संपूर्ण अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त चुन्नीलाल का उक्त जब्तशुदा वाहन का स्वामी

होना बताया और उसके कब्जे में से बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जाना प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द किये जाने का कथन किया। उक्त गवाह की जिरह मे भी कोई विपरीत कथन नहीं आया। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

08. चूंकि प्रकरण में अभियोजन प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण राधेश्याम व चुन्नीलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में सफल रहा है, अतः प्रकरण में मुलजिम **राधेश्याम** को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में तथा अभियुक्त **चुन्नीलाल** को धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित एवं विधिसम्मत होता है।

–::आदेश::–

09. परिणामस्वरूप मुलजिम **राधेश्याम** को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में मुलजिम **चुन्नीलाल** को धारा 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। मुलजिमान द्वारा पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

------S/d-----

(आशा चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर

10. दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन व बचाव पक्ष को सुना गया। अभिलेख से प्रकट है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का आक्षेप/साक्ष्य नहीं है, उनसे अल्प मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उन्हें दोषसिद्ध अपराध के लिए धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सदाचरण की इन शर्तों पर परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है कि प्रत्येक मुलजिम एक वर्ष की अवधि तक परिशान्ति बनाए रखेगा, वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं सदाचारी रहेगा और तलब किए जाने पर दण्डादेश भुगतने के लिए न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा **अभियुक्तगण इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उसे कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया।** मुलजिमान इस आशय का न्यायालय के संतुष्टिप्रद दस हजार रूपये की जमानत एवं इसी राशि का बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करवाएगा तथा धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के

अन्तर्गत 1200–1200/–रूपये(अक्षरे बारह सौ–बारह सौ रूपये मात्र) बतौर अभियोजन व्यय कुल 2400/–(अक्षरे चौबीस सौ रूपये मात्र) अदा करेगा। प्रकरण में जब्तशुदा शराब बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की स्थिति में, नियमानुसार निस्तारित की जावे।

------S/d-----

(आशा चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर

11. निर्णय आज दिनांक 17.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

------S/d-----

(आशा चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर

PIYUSH CHOBISA
Cleark Gr. II
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by PIYUSH CHOBISA
Location: ACJM COURT
Date: 2026.07.22 15:49:35 +0530